

9/11/22

आपका पत्रावली पैसा हुई पीछासीने अधिकारी
बाहरी फरमाते हैं। मुकदमा न आने
कार्यवाही कर दिया है अतः पूर्व जमानत
दिनांक 28/12/22 को पैसा ले।

28/12/22 वादी एवं वकील वादी उपर नहीं
दार-दार आवाज दिलायी गई।
किन्तु कोई उपर नहीं आया।
ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम
हाजरी एवं अदम परती में खारिज
किया जाता है। पत्रावली दायित्व
रूपत है।


उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)